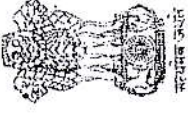


राजस्थान सरकार



राजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 59/राजोर 2017-2018

यह प्रमाणित किया जाता है कि

जिला राजोर जगदम्बा चामुण्डा माता जी देवी समिति राजोर के राजस्थान संस्था राजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत राजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक 12/04/2018 माह अप्रैल में दिया गया।

सन् दो हजार राजोर में दिया गया।

राजिस्ट्रार राजोर